नम्बर /वर्ष 26/2023 अनवानी शिला/सिलोचना बनाम रजनी

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
10.6.2024	पत्रावली पेश हुई गैरसायल उपस्थित नही गैरसायलान संख्या 1 ता 19 को बार बार आवाज लगवाई गई गैरसायल या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई वकील सायल को सुना गया पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक को पेश हो। पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी पर निम्नप्रकार से विवेचन किया गया । वकील सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की अदालत हाजा में अनवानी प्रकरण रजनी बनाम कृष्ण आदि वाद संख्या 1136/2021 पेश किया गया था जो दिनांक 07.12.2022 को डिक्री किया गया था निर्णय व डिक्री की पालना में रोही मौजा गिराजसर के नामान्तकरण संख्या 585 दिनांक 27.04.2022 दर्ज व तस्दीक किया गया था जिसके आधार पर वाद भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज हो गई थी। श्रीमानजी के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2022 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अनवानी सुमित्रा उर्फ सावित्री बनाम रजनी अपील संख्या 350/2023 प्रस्तुत की गई थी जो बाद सुनवाई दिनांक 06.07.2023 को अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई एव अपीलाधीन आदेश जो वाद संख्या 1139/2021 में दिनांक 07.12.2022 को पारित किया गया था को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार रोही मौजा गिराजसर की भूमि निर्णय दिनांक 07.12.2022 की पालना में गैरसायल के नाम दर्ज की गई थी को निरस्त करने के कारण निर्णय दिनांक 07.12.2022 से पूर्व की स्थिति बहाल रखी जानी आवश्यक है अतः नामान्तकरण संख्या 585 दिनांक 27.04.2022 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल रखने के आदेश फरमावे। गैरसायलान को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही हो चुकी है। हमने सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया तथ्य निम्नप्रकार से है। न्यायालय हाजा में रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 70/70 की कुल 14.9710हैक भूमि बाबत एक राजस्व वाद संख्या 1139 /2022 अनवानी रजनी बनाम कृष्ण प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 07.12.2022 को निर्णय /डिक्री किया गया था निर्णय एव डिक्री की पालना में नामान्तकरण संख्या 585 दिनांक 27.04.2022 दर्ज तस्दीक करने के उपरान्त रोही मौजा गिराजसर की भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज हो गई। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.12.2022 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील संख्या 350/2023 अनवानी रजनी बनाम कृष्ण प्रस्तुत की गई थी जो बाद सुनवाई दिनांक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:53:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

06.07.2023 को अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.12.2022 को निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.12.2022 की पालना में रोही मौजा गिराजसर की भूमि गैरसायलान के नाम हो गई थी इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.12.2022 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 06.07.2023 द्वारा खारिज करने पर इस न्यायालय के निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन स्वत की निरस्त हो जाता है

उपरोक्त विवेचन अनुसार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.12.2022 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 06.07.2023 द्वारा निरस्त करने के कारण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.12.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन का निरस्त किया जाकर उससे पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल किया जाना न्यायोचित है

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 1139/2022 अनवानी रजनी बनाम कृष्ण में दिनांक 07.12.2022 को पारित निर्णय की पालना में रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 70/70 की कुल भूमि 14.9710हैक्व भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 585 दिनांक 27.04.2022 से राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को भिजवाई जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:53:38 IST
Reason: SelfAttested